

चन्द्रसिंह आदि बनाम स्टेट
प्रकरण संख्या 457/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
26/12/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। जबाब स्टेट प्राप्त हुआ। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड जबाब तहसीलदार से जाहिर होता है कि वादीगण के पिता का सही नाम दलीप है। अतः वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा की जाती है कि चक 5 डी.डब्ल्यू.डी. के प.नं. 13/9 के किला नं. 3, 8, 13 की 0.7590 है. कुल- 0.7590 है. तहसील रावतसर की भूमि में वादी नं. 1 नाम चन्द्रसिंह पुत्र दिलीप के स्थान पर चन्द्र सिंह पुत्र दलीप व वादी नं. 2 नाम जैनाराम पुत्र दिलीप के स्थान पर जयनारायण पुत्र दलीप व वादी नं. 3 नाम जयपाल पुत्र दिलीप के स्थान पर जय पाल पुत्र दलीप व वादी नं. 4 का नाम भूपराम पुत्र दिलीप के स्थान पर भूप राम पुत्र दलीप व वादी नं. 5 नाम भानीराम पुत्र दिलीप के स्थान पर भानी राम पुत्र दलीप दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश आज दिनांक 26/12/2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।</p>	

०१

